

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

क्रमांक/प्रशि./आईओए/2017/ 641
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/10/2017


समस्त मुख् य चिकित् सा एवं स्वास्थ् य अधिकारी
मध्यप्रदेश

समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश

विषय:- इंडियन आर्थोपेडिक एसोसिएशन के राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के संबंध में अनुमति बाबद।

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्रमांक/प्रशि./2017/ 596 दिनांक 27 सितम्बर 2017।

कृपया उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। इंडियन आर्थोपेडिक एसोसिएशन के राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन का आयोजन दिनांक 3-5 नवम्बर 2017 तक पचमढी में किया जा रहा है। इस अधिवेशन में आपके जिले से जो अस्थि रोग विशेषज्ञ भाग लेना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति प्रदान की जाये तथा उक्त अवधी में उन्हें कर्तव्य पर मानते हुए विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाये। अधिवेशन में भाग लेने पर उन्हें यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, किंतु उनके द्वारा अधिवेशन में शोध पत्र प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुतीकरण दिये जाने पर इससे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें पात्रतानुसार यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है।



(राकेश मिश्रा)

सयुक्त संचालक (प्रशि)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25/10/2017

पू. क्रमांक/प्रशि./आईओए/2017/
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागी, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म0प्र0
4. अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।

सयुक्त संचालक (प्रशि)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश